



Q/R 15/2

### न्यायालय राजस्व मंडल मध्य प्रदेश शासन

प्रकरण क्रमांक /01-02/निगरानी

R-531-III/2002

श्री राजशम शर्मा को प्रस्तुत।  
7/3/2002

राजस्व मंडल मध्य प्रदेश शासन  
22/1/2002

दिनेश पुत्र रामस्वरूप  
निवासी गंभीर सिंह का पुरा  
मोजा पुराबसकलों तहसील  
अम्बाह जिला मुरेना — प्रार्थी

बनाम

- ✓ 1- शांती देवी पत्नी स्व० श्री कृष्ण
- ✓ 2- संजीव शर्मा
- ✓ 3- राजीव शर्मा पुत्र गण श्री कृष्ण
- ✓ 4- रामस्वरूप
- ✓ 5- गिरजा शंकर पुत्रगण रामनारायण
- ✓ 6- रामकली पत्नी बेजनाथ
- ✓ 7- जय देवी पुत्री राम किशन  
निवासी गण गंभीर सिंह का पुरा मोजा  
पुराबसकलों तहसील अम्बाह जिला मुरेना  
— प्रतिप्रार्थी

1/11/02  
9-3-2002

### निगरानी आदेश अन्तर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता के तहत

महोदय निवेदन है कि निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त चम्बल संभाग के आदेश दिनांक 16-1-02 प्रकरण क्रमांक 83/96-97/अपील निम्नानुसार प्रस्तुत है।

- 1- यहकि आदेश अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय का आदेश विधि एवं अभिलेख के विपरीत तथा अनुचित होने से निरस्त योग्य है।
- 2- यहकि प्रति० क्र० 1 लगायत 3 के पूर्वज स्व० श्री कृष्ण को प्रार्थी के हित मे संपादित वसीयत की पूर्ण जानकारी थी तथा वसीयत के आधार पर किये गये नामान्तरण की भी पूरी जानकारी थी इस संबंध मे

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला -मुरैना

प्रकरण क्रमांक निगरानी 531-तीन/02

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमाषकों आदि के हस्ताक्षर
7.08.2015	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता एवं आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। समय समय पर आवाज लगाई गई उसके उपरांत भी कोई उपस्थित नहीं। अतः आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p>	<p> सदस्य</p>